

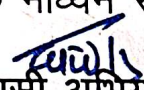
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 301 / अभि0 / नि0सू0 / 2025-26

दिनांक 30/08/25

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार कुल 06 विकास कार्य को करने हेतु बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्न में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 16.09.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे तक uktenders.gov.in की वैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई-निविदा को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियम तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वैबसाईट mddaonline.in में भी दिया गया है। यदि उक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन आदि किये जाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी सूचना उक्त वैबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 301/विकास कार्य/नि0सू0/2025-26

दिनांक 30/08/25

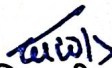
ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों, जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 06 विकास कार्यों को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 16.09.2025 करे अपरान्ह 02.00 बजे तक uktenders.gov.in की वैबसाइट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2025 को सांय 03.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ.डी.आर./सी.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में होगी तथा अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि. प्रा. के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेख के साथ उक्त वैबसाइट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 16.09.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ.डी.आर. व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र जी.पी.डब्लू.-09 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या 1197/II(2)/07-75(सामान्य)/ II दिनांक 24-02-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी। नियम व शर्त-सफल निविदादाता द्वारा उनके द्वारा किये गये निम्नलिखित कार्य का रखरखाव कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त 05 वर्षों तक स्वयं से किया जायेगा।

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में) बिना जी0एस0टी0	धरोहर राशि (रु0)	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0 सहित (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	निविदा की वैधता (दिन)
1	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत मुख्य मार्ग से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मोथरोवाला तक सी0सी0 सड़क व पुस्ते का निर्माण कार्य	55.08	1,65,000	4720	06	90

2	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं० 84 बंजारावाला में मोनाल इन्क्लेव के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	46.50	1,40,000	3540	06	90
3	रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत भगत सिंह कॉलोनी में सामुदायिक केन्द्र का अवशेष कार्य	38.60	1,16,000	2950	06	90
4	रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वाणी विहार में सामुदायिक केन्द्र का अवशेष कार्य	27.70	83,100	2360	06	90
5	डोईवाला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली फार्म हरावाला में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य	130.20	3,90,600	4720	10	90
6	राजीव गाँधी काम्पलेक्स के पंचम तल में कार्यालय का निर्माण कार्य	57.63	1,30,200	3540	06	90


 अधिशासी अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।
- 2-वित्त नियंत्रक, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।
- 3-मुख्य अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।
- 4-अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।
- 5-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 6-नाजिर, म.दे.वि.प्रा. को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- 7-आई.टी. अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 8-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 9-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।